सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 752 राँची, बुधवार 1 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

22 फरवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-580/2014 का०—181(HRMS)-- श्री रंजन चौधरी, झा०प्र०से० (कोटी क्रमांक-470/03), के विरुद्ध सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिये गये हैं ।

Sr. No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	Ranjan Choudhary BHR/BAS/1477	श्री रंजन चौधरी, झा०प्र०से० (कोटी क्रमांक-470/03), तत्कालीन उप समाहर्ता, हजारीबाग, संप्रति-सेवानिवृति के विरुद्ध आरोप को संचिकास्त किया जाता हैं ।

विवरण:

श्री रंजन चौधरी, झा०प्र०से०(कोटी क्रमांक-470/03), तत्कालीन उप समाहर्ता, हजारीबाग, सम्प्रति-सेवानिवृति के विरुद्ध श्री रति मांझी एवं अन्य के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को सम्बोधित एक परिवाद विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री चोधरी के विरुद्ध चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों तथा वाहन चालकों की नियोक्ति में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किए गये हैं ।

उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-3853 दिनांक 24 जुलाई, 2006 एवं कतिपय स्मार पत्रों द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, उतरी छोटानाग्पुर प्रमंडल, हजारीबाग से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी । इसके बाद भी जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर विभागीय अ०स०प०सं०-5980 दिनांक 5 मई, 2017 अ०स०प०सं०-10618 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

इस संबंध में, उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा करायी गयी जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-25(मु०)/स्था०, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को प्रमंडलीय आयुक्त, उतरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक-07/गो०, दिनांक 9 जनवरी, 2018 द्वारा उपलब्ध कारया गया हैं । उपायुक्त, हजारीबाग जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया हैं कि- "आरोपकर्तागण का पता नहीं रहने के कारण इनलोगों से संपर्क नहीं हो सका । जाँचोपरांत लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं कारण कि आरोप के संबध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया हैं" । पुन: श्री चौधरी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच श्री दिलीप तिर्की, अपर समाहर्ता-सह-स्थापना उप समाहर्ता , हजारीबाग तथा श्री विवेक कुमार मेहता, कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-नजारत उप समाहर्ता, हजारीबाग के द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई । उक्त जाँच प्रतिवेदन में उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य से सहमत होने का उल्लेख है ।

श्री चौधरी के विरुद्ध परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप एवं प्रमंडलीय आयुक्त, उतरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री रंजन चौधरी, झा०प्र०से०, तत्कालीन उप समाहर्ता, हजारीबाग संप्रति सेवानिवृत के विरुद्ध लगाए गये आरोपों को संचिकास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 752 -- 50